2012/00052

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता , आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 10/2012 (प्रा0पत्र–आवंटन निरस्तीकरण)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा
(प्रार्थी)

बनाम

आनन्दी लाल, हीरालाल, शिवराम, गिर्राज पुत्रान आणन्दीबाई पुत्री कालू जाति मीना निवासी मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ,
(अप्रार्थीगण)

उपस्थित :– 1. श्री दयाराम सेन अभिभाषक (अप्रार्थीगण की ओर से)

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत अप्रार्थी का आवंटन निरस्त करने बाबत

निर्णय दिनांक : 03.10.2019

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र इस बाबत प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थीगण आनन्दी लाल, हीरालाल, शिवराम, गिर्राज पुत्रान आणन्दीबाई पुत्री कालू जाति मीना निवासी मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ग्राम मांदलिया तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 286/690 रकबा 1.60 हैक्टयर आवंटित की गई थी। अप्रार्थी राजस्व रेकार्ड में बहैसियत गेर खातेदार दर्ज है। आवंटी को भूमि आवंटन एंव कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत तथा द्वितीय वर्ष में शेष 50 प्रतिशत भूमि पर काश्त कर निर्बाध रूप से सम्पूर्ण भूमि पर काश्त करनी चाहिऐ थी, किन्तु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर नियमित कब्जा काश्त नहीं की एंव सम्वत् 2066–2069 में भूमि पडत रही। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने से आवंटन निरस्त योग्य है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से श्री दयाराम सेन अभिभाषक उपस्थित हुए । अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि अप्रार्थीगण द्वारा खं0 नं0 286/690 रकबा 1.60 है0 वाके ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा को अप्रार्थीगण द्वारा कृषि योग्य बनाया और नियमानुसार उक्त कब्जेदारान को उक्त आराजी अलोटमेन्ट की गई इसलिये अप्रार्थीगण को गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए और रकम जमा कराने के बाद गैर खातेदारी प्राप्त हो गई । एक बार गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद राज0 टी0 एक्ट के प्रावधानों के अनुसार गैर खातेदारी अधिकार समाप्त नही किये जा सकते क्योकि अप्रार्थीगण गैर खातेदार काबिज काश्त है व खातेदार टीनेन्ट है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया ।

3. प्रकरण में अप्रार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी गई । वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अप्रार्थीगण द्वारा खं0 नं0 286/690 रकबा 1.60 है0 वाके ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा को अप्रार्थीगण द्वारा कृषि योग्य बनाया और नियमानुसार उक्त कब्जेदारान को उक्त आराजी अलोटमेन्ट की गई इसलिये अप्रार्थीगण को गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए और रकम जमा कराने के बाद गैर खातेदारी प्राप्त हो गई । एक बार गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद राज0 टी0 एक्ट के प्रावधानों के अनुसार गैर खातेदारी अधिकार समाप्त नही किये जा सकते क्योकि अप्राथीगण गैर खातेदार काबिज काश्त है व खातेदार टीनेन्ट है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया । अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2016 (1) पेज 340–343 व आरआरटी 2015 (1) पेज 200–204 की नजीरे प्रस्तुत की है ।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया व वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया । अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि को भूमि आवंटन एंव कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत तथा द्वितीय वर्ष में शेष 50 प्रतिशत भूमि पर काश्त कर निर्बाध रूप से सम्पूर्ण भूमि पर काश्त करनी चाहिऐ थी, किन्तु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर नियमित कब्जा काश्त नहीं की है । खसरा गिरदावरी सम्वत् 2066–2067 से स्पष्टत साबित होता है कि आवंटित भूमि पडत रही है । विवादित भूमि सम्वत् 2074 मे भी पडत रही है तथा सं0 2075 मे भूमि काश्त होने बाद आवंटी द्वारा खसरा गिरदावरी सं0 2075 पेश की है । आवंटन शर्तो की पालना हेतु आवंटी को यह साबित करना आवश्यक है कि उसके द्वारा भूमि आवंटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत तथा द्वितीय वर्ष में शेष 50 प्रतिशत भूमि पर काश्त कर निर्बाध रूप से सम्पूर्ण भूमि पर काश्त की है । इसके संबन्ध मे आवंटी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया। अतः आवंटन शर्तो की पालना किया जाना साबित नही होता है । वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरे इस प्रकरण मे लागू नही होती है ।

5. अतः राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन अनुसार स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को वाके ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 286/690 रकबा 1.60 हैक्टयर का आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है। तहसीलदार लाडपुरा उक्त भूमि राजकीय सिवायचक खाता सरकार दर्ज करे।

6. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 03.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र कुमार गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा